अदालतः— **उपखण्ड अधिकारी नावां, जिला डीडवाना—कुचामन, राज.**

अज अदालत :— श्री विश्वामित्र मीना, आर.ए.एस.

वादीः—

हनुमानराम पुत्र बुधा जाति अहीर निवासी भगवानपुरा तहसील नावां।

बनाम

प्रतिवादीगणः—

1. हीरा पुत्र गोमा जाति अहीर निवासी भगवानपुरा तहसील नावां।
2. किशनीदेवी पत्नि छोटु जाति अहीर निवासी भगवानपुरा तहसील नावां।
3. बरजीदेवी पत्नि पुसाराम जाति अहीर निवासी भगवानपुरा तहसील नावां।
4. मंगलाराम पुत्र पुसाराम जाति अहीर निवासी भगवानपुरा तहसील नावां।
5. कानाराम पुत्र रूडाराम जाति अहीर निवासी खेरवा की ढाणी तहसील नावां।
6. रामेश्वरलाल पुत्र रूडाराम जाति अहीर निवासी खैरवा की ढाणी तहसील नावां।
7. सोहनलाल पुत्र रूडाराम जाति अहीर निवासी खैरवा की ढाणी तहसील नावां।
8. हणमान पुत्र केसा जाति जाट निवासी भगवानपुरा तहसील नावां।
9. प्रभु पुत्र गंगा जाति जाट निवासी भगवानपुरा तहसील नावां।
10. भीवा पुत्र गंगा जाति जाट निवासी भगवानपुरा तहसील नावां।
11. हेमा पुत्र गंगा जाति जाट निवासी भगवानपुरा तहसील नावां।
12. हरदेवाराम पुत्र भैरूबक्स जाति जाट निवासी भगवानपुरा तहसील नावां।
13. शाखा प्रबन्धक आई० सी० आई० सी० आई० बैंक शाखा जोबनेर।
14. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधी भूमिधारी तहसीलदार नावां।

मुकदमां नम्बर :— 32/2019 **निर्णय दिनांक** :— 20.02.2024

इनफिसाल कतई रूबरू.....बहाजरी श्री बजरंगलाल बिजारणियां अधिवक्ता वादी, श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 को डिक्री दी जाती हैं किः—

वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि राजस्व ग्राम भगवानपुरा पटवार हल्का भगवानपुरा तहसील नावां की सरहद में स्थित कृषि भूमि नवीन खसरा नम्बर 22, 272 कुल रकबा 9.1712 हैक्टर भूमि मे से प्रतिवादी संख्या 1 हीरा पुत्र गोमा हिस्सा 1/12 के स्थान पर 1/3 हिस्से की भूमि का वादी हनुमानराम को एवं 1/3 हिस्से की भूमि का प्रतिवादी संख्या 2 किशनीदेवी को एवं 1/3 हिस्से की भूमि का प्रतिवादी संख्या 3 ता 4 को बहिस्सा बराबर से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं एवं राजस्व ग्राम भगवानपुरा पटवार हल्का भगवानपुरा तहसील नावा की सरहद मे स्थित कृषि भूमि नवीन खसरा नम्बर 165, 415, 416 कुल रकबा 10.32 हैक्टर भूमि मे से प्रतिवादी संख्या 1 हीरा पुत्र गोमा हिस्सा 1/4 के स्थान पर 1/3 हिस्से की भूमि का वादी हनुमानराम को व 1/3 हिस्से की भूमि का प्रतिवादी संख्या 2 किशनीदेवी को व 1/3 हिस्से की भूमि का प्रतिवादी संख्या 3 व 4 को बहिस्सा बराबर से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार नावां को आदेश दिये जाते हैं। तहरीर जारी हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.03.06 11:12:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 20.02.2024 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखतः

ओहदा : उपखण्ड अधिकारी, नावां

उपखण्ड अधिकारी नावां (डीडवाना-कुचामन)

मुदई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरीक	NIL	NIL	स्टम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा महन्ताना वकील खर्चा गाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरीक	NIL	NIL
मीलान	NIL	NIL	मीजान	NIL	NIL

Signature Not Verified

Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.03.06 11:12:12 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नावां (डीडवाना–कुचामन)

पीठासीन अधिकारी : श्री विश्वामित्र मीना, आर.ए.एस.

वादीः–

हनुमानराम पुत्र बुधा जाति अहीर निवासी भगवानपुरा तहसील नावां।

बनाम

प्रतिवादीगणः–

1. हीरा पुत्र गोमा जाति अहीर निवासी भगवानपुरा तहसील नावां।
2. किशनीदेवी पत्नि छोटु जाति अहीर निवासी भगवानपुरा तहसील नावां।
3. बरजीदेवी पत्नि पुसाराम जाति अहीर निवासी भगवानपुरा तहसील नावां।
4. मंगलाराम पुत्र पुसाराम जाति अहीर निवासी भगवानपुरा तहसील नावां।
5. कानाराम पुत्र रूडाराम जाति अहीर निवासी खेरवा की ढाणी तहसील नावां।
6. रामेश्वरलाल पुत्र रूडाराम जाति अहीर निवासी खैरवा की ढाणी तहसील नावां।
7. सोहनलाल पुत्र रूडाराम जाति अहीर निवासी खैरवा की ढाणी तहसील नावां।
8. हणमान पुत्र केसा जाति जाट निवासी भगवानपुरा तहसील नावां।
9. प्रभु पुत्र गंगा जाति जाट निवासी भगवानपुरा तहसील नावां।
10. भीवा पुत्र गंगा जाति जाट निवासी भगवानपुरा तहसील नावां।
11. हेमा पुत्र गंगा जाति जाट निवासी भगवानपुरा तहसील नावां।
12. हरदेवाराम पुत्र भैरूबक्स जाति जाट निवासी भगवानपुरा तहसील नावां।
13. शाखा प्रबन्धक आई० सी० आई० सी० आई० बैंक शाखा जोबनेर।
14. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधी भूमिधारी तहसीलदार नावां।

दावा वास्ते इस्तकरार हक, रेकर्ड दुरूस्ती व अधिकारों की घोषणा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट

उपस्थित :– श्री बजरंगलाल बिजारणियां अधिवक्ता वादी
श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 2 ता 4

मुकदमा नम्बरः 32/2019 निर्णय दिनांकः– 20.02.2024

निर्णय

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि राजस्व ग्राम भगवानपुरा पटवार हल्का भगवानपुरा तहसील नावां की सरहद में स्थित गत खसरा नम्बर 18. 18/1, 126 कुल रकबा 57 बिघा 6 बिस्वा भूमि स्थित रही है जिसके नवीन भु प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान नवीन खसरा नम्बर 22 रकबा 3.012 हैक्टर, खसरा नम्बर 272 रकबा 6.16 हैक्टर कुल रकबा 9.1712 हैक्टर भूमि कायम हुये है तथा गत खसरा नम्बर 175 रकबा 55 बिघा 7 बिस्वा भूमि व गत खसरा नम्बर 241, 242 रकबा 36 बिघा 7 बिस्वा भूमि स्थित रही है जिसके नवीन भु प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान नवीन खसरा नम्बर 165 रकबा 4.44 हैक्टर, खसरा नम्बर 415 रकबा 2.13 हैक्टर, खसरा नम्बर 416 रकबा 3.75 हैक्टर कुल

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.03.06 11:12:12 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

रकबा 10.32 हैक्टर भूमि कायम हुये है जिसकी नकल जमाबन्दी व मिलान क्षेत्रफल वाद पत्र के साथ प्रस्तुत किये। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 एक ही सजरा खानदान के सदस्य हैतथा स्वर्गीय गोमा के वंशज एवं वारिसान है जिनका सजरा वाद पत्र में पेश किया। उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि गत खसरा नम्बर 18, 18/1, 126 कुल रकबा 57 बिघा 6 बिस्वा भूमि में से 1/2 हिस्से की भूमि व गत खसरा नम्बर 175, 241, 242 की सम्पूर्ण भूमि पूर्व मे वादी के दादा गोमा की कब्जे काश्त एवं आधिपत्य की स्थित रही है तथा उक्त कृषि भूमि पर गोमा तत्कालिन जागीरदारान से हासिल पर लेकर काश्त करता था एवं काश्त करके निर्धारित लगान तत्कालिन जागीरदारान को अदा करते थे तथा जागीरदारी प्रथा रिज्युम होने के पश्चात लागू होने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के समय वादी के दादा गोमा का स्वर्गवास हो गया तथा गोमा का स्वर्गवास होने पर राजस्व रिकार्ड मे उक्त भूमि की खातेदारी गोमा के वारिस रामू, बुधा, हीरा व छोटु चारो पुत्रो के नाम दर्ज हो गई। लागू होने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के समय गोमा के चारो पुत्र रामू बुधा, हीरा, छोटु के नाम उक्त भूमि में खातेदारी दर्ज होने के पश्चात उसी समय प्रतिवादी संख्या 1 हीरा उक्त भूमि को छोडकर एवं ग्राम भगवानपुरा छोडकर अविवाहित ही चलागया था तथा उक्त भूमि गत खसरा नम्बर 18, 18/1, 126 कुल रकबा 57 बिघा 6 बिस्वा भूमि मे से 1/2 हिस्से की भूमि पर व गत खसरा नम्बर 175, 241, 242 की सम्पूर्ण भूमि पर वादी का पिता बुधा व छोटु एवं रामू तीनो भाई बहिस्सा बराबर से काबिज होकर काश्त करने लगे परन्तु राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 हीरा के नाम खातेदारी दर्ज होने से पश्चातवर्ति जमाबन्दीयो मे आज दिन खातेदारी दर्ज चली आ रही है जबकि प्रतिवादी संख्या 1 हीरा पिछले 60 वर्षो से ग्राम भगवानपुरा में निवास नहीं करता है तथा कही अन्यत्र चला गया जिसका उक्त भूमि पर कभी भी कब्जा काश्त एवं आधिपत्य नहीं रहा है। उक्त भूमि गत खसरा नम्बर 18, 18/1, 126 कुल रकबा 57 बिघा 6 बिस्वा गुमि में से 1/2 हिस्से की भूमि व गत खसरा नम्बर 175, 241, 242 की सम्पूर्ण भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का पिछले 60 वर्षो से कब्जा काश्त व आधिपत्य नहीं होने से उक्त भूमि वादी के पिता बुधा एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के पूर्वज रामू व छोटु के कब्जे काश्त व आधिपत्य में स्थित रही है तथा बुधा, रामू व छोटु ने बहिस्सा बराबर से उक्त भूमि पर आजीवन प्रर्यन्त काश्त की है तथा वादी के पिता बुधा का स्वर्गवास होने पर बुधा के हिस्से पर वादी हनुमानराम व छोटु का स्वर्गवास होने पर प्रतिवादी संख्या 2 किशनीदेवी व रामू का स्वर्गवास होने पर पुसाराम व पुसा का स्वर्गवास होने पर प्रतिवादी संख्या 3 व 4 बरजीदेवी मंगलाराम जरिये विरासत के काबिज कृषक चले आ रहे है तथा निरन्तर एवं निर्विवाद रूप से काश्त करते चले आ रहे है तथा उक्त भूमि की गिरदावरी इन्द्राज भी लगातार वादी के पिता बुधा व प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के पूर्वज रामू व छोटु के नाम [illegible] चली आ रही है इस प्रकार गिरदावरी इन्द्राज से भी स्पष्ट साबित है की उक्त भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 हीरा का लागू होने काश्तकारी अधिनियम के समय से ही कब्जा काश्त व आधिपत्य नही रहा है तथा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के पूर्वजो का ही कब्जा काश्त व आधिपत्य रहा है। नवीन भु प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान गत खसरा नम्बर 18, 18/1, 126 के नवीन खसरा नम्बर 22, 272 कुल रकबा 9.1712 हैक्टर भूमि कायम हुये है तथा गत खसरा नम्बर 175, 241, 242

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.03.06 11:12:12 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

के नवीन खसरा नम्बर 165, 415, 416 कुल रकबा 10.32 हैक्टर भूमि कायम हुये है तथा नवीन खसरा नम्बर 22, 272 कुल रकबा 9.1712 हैक्टर भूमि में से 1/2 हिस्से की भूमि मे से 1/3 हिस्से की भूमि वादी के पिता बुधा की व 1/3 हिस्से की भूमि प्रतिवादी संख्या 2 के पति छोटू की व 1/3 हिस्से की भूमि प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के पूर्वज रामू की एवं नवीन खसरा नम्बर 165, 415, 416 कुल रकबा 10.32 हैक्टर भूमि में से 1/3 हिस्से की भूमि वादी के पिता बुधा की व 1/3 हिस्से की भूमि प्रतिवादी संख्या 2 के पति छोटू की व 1/3 हिस्से की भूमि प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के पूर्वज रामू की कब्जे काश्त एवं आधिपत्य की भूमि स्थित रही है तथा बुधा, रामू व छोटु का स्वर्गवास होने पर उक्त भूमि आज दिन वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 की कब्जे काश्त एवं आधिपत्य की स्थित चली आ रही है तथा उक्त भूमि पर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 का पिढी दर पिढी कब्जा काश्त व आधिपत्य चला आ रहा है इस प्रकार से उक्त भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 की भूमि पैतृक अधिकारो की भूमि स्थित रही है तथा प्रतिवादी संख्या 3 बरजीदेवी द्वारा खसरा नम्बर 165, 415, 416 मे से कुछ भूमि प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 को हस्तान्तरण कर देने से इनके नाम खातेदारी दर्ज चली आ रही है। नवीन खसरा नम्बर 22, 272 कुल रकवा 9.1712 हैक्टर भूमि में व नवीन खसरा नम्बर 165, 415, 416 कुल रकबा 10.32 हैक्टर भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 की पैतृक व कब्जे काश्त की भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 हीरा पुत्र गोमा के नाम से खातेदारी दर्ज चली आ रही है जबकि हीरा पुत्र गोमा का उक्त भूमि में कभी भी कब्जा काश्त आधिपत्य नहीं रहा है एवं न ही हीरा पुत्र गोमा पिछले 60 वर्षो से यहा निवास करता है तथा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 का ही लगातार पिढी दर पिढी पिछले 60 वर्षो से कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा गिरदावरी इन्द्राज भी वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के पुर्वजो के नाम लगातार दर्ज चली आ रही है तथा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 ही प्रतिवादी संख्या 1 के खानदान के सदस्य है तथा यही कृषि भूमि वादी की आजीविका का एक मात्र साधन इसलिए उक्त भूमि नवीन खसरा नम्बर 22, 272 कुल रकबा 9.1712 हैक्टर भूमि में से 1/2 हिस्से की भूमि में से 1/3 हिस्से की अर्थात् कुल रकबा में से 1/6 हिस्से की भूमि की वादी एवं 1/6 हिस्से की भूमि की प्रतिवादी संख्या 2 एवं 1/6 हिस्से की भूमि की प्रतिवादी संख्या 3 व 4 एवं नवीन खसरा नम्बर 165, 415, 416 कुल रकबा 10.32 हैक्टर भूमि मे से प्रतिवादी संख्या 1 के स्थान पर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 स्वतः ही खातेदारी प्राप्त करने के कानुनन मुश्तहक है। वादी ने अभी हाल ही में अपनी पैतृक अधिकारो की कब्जे काश्त की भूमि की राजस्व रिकार्ड की पुरानी नकलात प्राप्त की तो वादी को इस बात की जानकारी हुई है की वादी की कब्जे काश्त की भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम खातेदारी दर्ज चली आ रही है जबकि वादी की भूमि में कभी भी प्रतिवादी संख्या 1 का कब्जा काश्त व आधिपत्य नही रहा है तथा वादी की भूमि मे प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से खातेदारी दर्ज होने से वादी को काफी परेशानीया को सामना करना पड रहा है तथा वादी को अपनी कृषि भूमि पर मिलने वाली सुविधाओं से वचित होना पड रहा है इसलिए वादी ने अपने पैतृक अधिकारो की कब्जे काश्त की भूमि की खातेदारी प्राप्त करने के लिए उक्त वाद पत्र प्रस्तुत किया। प्रतिवादी संख्या 5 ता 12 सहखातेदार होने से फोरमल पक्षकार है तथा प्रतिवादी संख्या 13 के यहां

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.03.06 11:12:12 IST
Reason: Self-Attested

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

भूमि रहन होने से तथा प्रतिवादी संख्या 14 भूमिधारी होने से पक्षकार प्रतिवादी है। राजस्व ग्राम भगवानपुरा पटवार हल्का भगवानपुरा तहसील नावां की सरहद में स्थित कृषि भूमि नवीन खसरा नम्बर 22, 272 कुल रकबा 9.1712 हैक्टर भूमि मे से प्रतिवादी संख्या 1 हीरा पुत्र गोमा का नाम हटाया जाकर 1/6 हिस्से की भूमि का वादी को एवं 1/6 हिस्से की भूमि का प्रतिवादी संख्या 2 किशनीदेवी को एवं 1/6 हिस्से की भूमि का प्रतिवादी संख्या 3 ता 4 को काबिज खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जाकर इस आशय की डिक्री वहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण एवं राजस्व ग्राम भगवानपुरा पटवार हल्का भगवानपुरा तहसील नावा की सरहद मे स्थित कृषि भूमि नवीन खसरा नम्बर 165, 415, 416 कुल रकवा 10.32 हैक्टर भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 हीरा पुत्र गोमा का नाम हटाया जाकर हीरा पुत्र गोमा के 1/4 हिस्से की भूमि में हीरा पुत्र गोमा के स्थान 1/3 हिस्से की भूमि का वादी को व 1/3 हिस्से की भूमि का प्रतिवादी संख्या 2 किशनीदेवी को व 1/3 हिस्से की भूमि का प्रतिवादी संख्या 3 व 4 को काबिज खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जाकर इस आश्य की डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण फरमाने तथा माफिक डिक्री राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार नावा को आदेश प्रदान करने की इस्तदुआ की।

वादी का वाद दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण को सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 ता 4, 8 ता 11, 14 के तामील शुदा सम्मन प्राप्त होने के बावजूद भी अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा ने आदेश 9 नियम 7 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के विरूद्ध की गई एकपक्षीय कार्यवाही को अपास्त किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा ने इकबाली जवाब पेश कर निवेदन किया कि वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर माफिक इस्तदुआ डिक्री किया जावे तो प्रतिवादीगण को कोई ऐतराज नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1 का सम्मन अखबार दैनिक नवज्योति दिनांक 18 दिसम्बर 2022 में प्रकाशित करवाने के बावजूद भी अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अधिवक्ता वादी ने प्रार्थना पत्र बाबत प्रतिवादी संख्या 5 ता 7, 12, 13 के विरूद्ध कार्यवाही ड्रोप करने पेश किया जिसे स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 5 ता 7, 12, 13 के विरूद्ध कार्यवाही ड्रोप की गई। तत्पश्चात पत्रावली को साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई। साक्ष्य वादी में पी.डब्ल्यू.1 वादी हनुमानराम, पी.डब्ल्यू.2 गोपालराम, पी.डब्ल्यू.3 अमराराम के मुख्य परीक्षण के शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सीपीसी पेश किये। वादी ने अपने वाद पत्र के समर्थन में जमाबंदी संवत 2073 से 2076 की प्रमाणित प्रति पेश की जो प्रदर्श 1 व 2 है, खसरा मिलान क्षैत्रफल की प्रमाणित प्रति प्रदर्श 3, संवत 2008 की खतौनी की प्रमाणित प्रति प्रदर्श 4, संवत 2041 से 2044 की जमाबंदी की प्रमाणित प्रति प्रदर्श 5, संवत 2025 से 2028 की जमाबंदी की प्रमाणित प्रति प्रदर्श 6, संवत 2013 से 2024 की जमाबंदी की प्रमाणित प्रति प्रदर्श 7, संवत 2029 से 2032 की जमाबंदी की प्रमाणित प्रति प्रदर्श 8, संवत 2010 से 2013 की गिरदावरी की प्रमाणित प्रति प्रदर्श 9, संवत 2014 से 18 की गिरदावरी की प्रमाणित प्रति प्रदर्श 10, संवत 2029 से 2032 की जमाबंदी की प्रमाणित प्रति प्रदर्श 10ए, संवत 2014 से 2017 व संवत 2029 से 2032 की जमाबंदी

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.03.06 11:12:12 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

की प्रमाणित प्रति प्रदर्श 11 व 11ए, संवत 2041 से 2044 की जमावंदी की प्रमाणित प्रति प्रदर्श 12, संवत 2036 से 2039 की जमावंदी की प्रमाणित प्रति प्रदर्श 13, खसरा क्षैत्रफल की प्रमाणित प्रदर्श 14, जमाबंदी संवत 2013 से 2016 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श 15, संवत 2017 से 2020 की जमावंदी की प्रमाणित प्रति प्रदर्श 16, संवत 2025 से 2028 की जमाबंदी की प्रमाणित प्रति प्रदर्श 17, संवत 2032 से 2035 की जमाबंदी की प्रमाणित प्रति प्रदर्श 18, संवत 2029 से 2032 की गिरदावरी की जमावंदी की प्रमाणित प्रति प्रदर्श 19 व 20, संवत 2073 से 76 की जमावंदी की प्रमाणित प्रति प्रदर्श 21 व 22, संवत 2010 से 2017 की गिरदावरी की प्रमाणित प्रति प्रदर्श 23 व संवत 2018 से 2020 की गिरदावरी की प्रमाणित प्रति प्रदर्श 24 है। के रूप में प्रदर्शित करवाये गये। ओर साक्ष्य वादी पेश नहीं करने पर पत्रावली वहस हेतु नियत की गई।

उभयपक्षकारान की वहस सुनी गई। उभयपक्षकारान माफिक वाद पत्र इस्तदुआ डिक्री करवाने हेतु सहमत। पत्रावली एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वहस पर मनन किया गया।

उपरोक्त विवेचन अनुसार वादी की ओर ग्राम भगवानपुरा स्थित कृषि भूमि गत खसरा नम्वर 18, 18/1, 126 जिनके नवीन खसरा नम्वर 22, 272 कुल रकवा 9.1712 हैक्टर भूमि व गत खसरा नम्वर 175, 241, 242 जिनके नवीन खसरा नम्वर 165, 415, 416 कुल रकवा 10.32 हैक्टर भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 हीरा पुत्र गोमा के नाम दर्ज भूमि पर पीढीयों से वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 का कब्जा काश्त एवं आधिपत्य होना वताकर खातेदारी घोषणा हेतु वाद पत्र प्रस्तुत किया है तथा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के नाम दर्ज भूमि पूर्व में इनके पूर्वज गोमा के नाम खातेदारी की दर्ज रही हैं तथा उक्त गत खसरान की भूमि में गोमा के नाम दर्ज खातेदारी भूमि में वादी के पिता वुधा व प्रतिवादी संख्या 2 के पति छोटू व प्रतिवादी संख्या 3, 4 के ससुर/दादा रामू का नाम अवश्य जमावंदी दर्ज हुआ है जो पत्रावली पर उपलब्ध जमावंदीयों में अंकित है परन्तु गोमा के नाम दर्ज रही खातेदारी भूमि पर कब्जा काश्त वादी के पिता वुधा एवं प्रतिवादी संख्या 2 के पति छोटू व प्रतिवादी संख्या 3, 4 के ससुर/दादा रामू का रहा है इस संवंध में पत्रावली पर उपलब्ध उक्त गत खसरान की भूमि की गिरदावरी में गोमा के स्वर्गवास होने के वाद गोमा के हिस्से की भूमि पर वादी के पिता वुधा व प्रतिवादी संख्या 2 के पति छोटू व प्रतिवादी 3, 4 के ससुर/दादा रामू तीनों भाईयों का ही कब्जा काश्त होना सावित हैं तथा गत खसरा नम्वर 18, 18/1, 126 की भूमि में गोमा के हिस्से की भूमि पर संवत 2010 से 2032 की गिरदावरी प्रदर्श 9, प्रदर्श 10, प्रदर्श 10ए, प्रदर्श 11 में व गत खसरा नम्वर 175, 241, 242 की भूमि में गोमा के हिस्से की भूमि पर संवत 2010 से 2020 की गिरदावरी प्रदर्श 23, 24 में कॉलम कब्जा काश्त में रामू, बुधा, छोटू पि. गोमा के नाम कब्जा काश्त का इन्द्राज लगातार दर्ज चला आ रहा है। इस प्रकार गोमा के नाम दर्ज रही खातेदारी की सम्पूर्ण भूमि पर रामू, बुधा, छोटू पि. गोमा का ही कब्जा काश्त होना गिरदावरी से सावित है तथा वादी हनुमानराम बुधा का जायज पुत्र एवं प्रतिवादी संख्या 2 किशनी छोटू की धर्मपत्नि है तथा प्रतिवादी संख्या 3,4 रामू के वारिसान है तथा रामू बुधा छोटू का स्वर्गवास होने के वाद जरिये उत्तराधिकारी वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 का निरंतर कब्जा काश्त होना

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.03.06 11:12:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

स्पष्ट है तथा पत्रावली में उपलब्ध गिरदावरी प्रदर्श 9 , प्रदर्श 10, प्रदर्श 10ए, प्रदर्श 11 में व गिरदावरी प्रदर्श 23, 24 में गोमा की मृत्यु के बाद गोमा के हिस्से की भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 हीरा का कब्जा काश्त होने के संबंध में कोई इन्द्राज कॉलम कब्जा काश्त में नही रहा है। इस प्रकार गत खसरा नम्बर 18, 18/1, 126, 175, 241, 242 की भूमि में गिरदावरी इन्द्राज से प्रतिवादी संख्या 1 का शुरू से ही कब्जा काश्त होने के संबंध में कोई इन्द्राज नहीं है तथा गत खसरान की भूमि मे कब्जा काश्त नहीं होने से नवीन खसरान की भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का कब्जा काश्त होना साबित नहीं है तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात से गोमा के नाम दर्ज रही खातेदारी की सम्पूर्ण भूमि पर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के पूर्वज का कब्जा काश्त शुरू से ही होना स्पष्ट है एवं प्रतिवादी संख्या 1 का केवलमात्र खातेदारी इन्द्राज रहा है जो बिना कब्जा काश्त के रहा है तथा वादी की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य से भी वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 का ही कब्जा काश्त होना साबित है। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज चली आ रही उक्त खातेदारी भूमि का वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी है। इसलिए खसरा नम्बर 18, 18/1, 126, 175, 241, 242 के भाग नवीन खसरा नम्बर 22, 272 कुल रकबा 9.1712 हैक्टर, खसरा नम्बर 165, 415, 416 कुल रकबा 10.32 हैक्टर भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज भूमि का वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 को खातेदार घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि राजस्व ग्राम भगवानपुरा पटवार हल्का भगवानपुरा तहसील नावां की सरहद में स्थित कृषि भूमि नवीन खसरा नम्बर 22, 272 कुल रकबा 9.1712 हैक्टर भूमि मे से प्रतिवादी संख्या 1 हीरा पुत्र गोमा हिस्सा 1/12 के स्थान पर 1/3 हिस्से की भूमि का वादी हनुमानराम को एवं 1/3 हिस्से की भूमि का प्रतिवादी संख्या 2 किशनीदेवी को एवं 1/3 हिस्से की भूमि का प्रतिवादी संख्या 3 ता 4 को बहिस्सा बराबर से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं एवं राजस्व ग्राम भगवानपुरा पटवार हल्का भगवानपुरा तहसील नावा की सरहद मे स्थित कृषि भूमि नवीन खसरा नम्बर 165, 415, 416 कुल रकबा 10.32 हैक्टर भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 हीरा पुत्र गोमा हिस्सा 1/4 के स्थान पर 1/3 हिस्से की भूमि का वादी हनुमानराम को व 1/3 हिस्से की भूमि का प्रतिवादी संख्या 2 किशनीदेवी को व 1/3 हिस्से की भूमि का प्रतिवादी संख्या 3 व 4 को बहिस्सा बराबर से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार नावां को आदेश दिये जाते हैं। मिसल कार्यवाही हो।

यह आदेश आज दिनांक 20.02.2024 को लिखा जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.03.06 11:12:12 IST
Reason: SelfAttested

(विश्वामित्र मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
नावां (डीडवाना–कुचामन)

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)